संख्या: 86 लो0नि0–1 / 2004–6(प्रा.आ.) / 2004

प्रेषक,

टी. के. पंत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून : दिनॉक 6 फरवरी, 2004

विषय: **वित्तीय वर्ष 2003–2004 में विधान सभा क्षेत्र टिहरी के 21 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 503 / 265यातायात–2004दिनांक 27–01–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा विधान सभा क्षेत्र टिहरी के शासन को उपलब्ध कराये गये 21 कार्यों के आगणनों लागत रु0 2370.05 लाख के परीक्षणोपरांत औचित्य पूर्ण पायी गयी रु0 2284.36 लाख (रुपये बाईस करोड चौरासी लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न सूची के कालम 6 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु उसके सम्मुख अंकित विवरणानुसार कुल रु0 15.70 लाख (रुपये पन्द्रह लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो गये हों तो उन कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर की जाय।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेता के साथ भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलि आवश्यतानुसार निर्देशें तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजन्सी/अधिशासी अभियंता का होगा। समयबद्व रुप से कार्य करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी / निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध कर पैनल्टी क्लास लगाये जाने पर विचार कर सकते हैं।

12– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

13– आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

14– कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800 –अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य की मद के के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 संख्या 2750 / वित्त अनुभाग–3/2003 दिनांक 06 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– 21 कार्यों की सूची।

भवदीय

(टी. के. पंत)
उप सचिव।

संख्याः 39 (1)लो0नि0–1/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियंता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, पौडी।
5. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, टिहरी।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. अधीक्षण अभियंता, 27वाँ वृत्त लो.नि.वि., टिहरी।
9. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः ३१ लो.नि.–1/2004–6(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6 फरवरी, 2004 का संलग्नक।

धनराशि लाख रुपये में

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि.मी. में	आगणन की लागत	अनुमोदित लागत	वर्ष 2003–04 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जाखणी धार विकास खण्ड में गन्देली तौक से काण्डी डांगी मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.50
2	रानीचौरी नकोट मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	10.50	142.17	142.70	1.00
3	जाखणीधार विकासखण्ड के अन्तर्गत जाखणीधार–गाराकोट ह.वा.मा. का चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण	25.00	384.60	352.20	2.00
4	जाखणीधार विकासखण्ड के अन्तर्गत पजियाणा से कपडियासैण रा.इ.का. वाय खस्तल मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.50
5	चम्बा विकास खण्ड में भागीरथी पुरम खेमडा–कुन्डाली मो.मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.50
6	जाखणीधार विकास खण्ड में निरालीधार से दपोली सुनाली मो. मार्ग का निर्माण	10.00	139.00	139.00	1.00
7	जाखणीधार विकास खण्ड में अंजनीसैण पुराणु मो. मार्ग का निर्माण	6.00	83.40	83.40	0.50
8	जाखणीधार विकास खण्ड में जाखणीधार ह.वा.मा. से सैणपिपोला चौपडा जीरो ब्रिज मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	83.40	83.40	0.50
9	जनपद टिहरी गढवाल मे सियासू रतवाडी कमान्द से ज्वारना मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	233.50	208.50	1.00
10	टिहरी गढवाल में रतनऊ गाड धौलधार ह.वा.मा. का मोटर मार्ग में परिवर्तन	3.50	18.90	12.25	0.10
11	टिहरी गढवाल में नगनी से वाया जखोन सुदाडा दिवरी नकोट नागदेव पखाल्ड मोटर मार्ग	15.00	186.90	178.86	1.00
12	नई टिहरी पांगरखाल नकोट मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार व डामरीकरण	5.10	66.00	61.12	0.50

13	टिहरी गढवाल में चम्बा चुंगी चौकी आराकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण	1.00	10.20	10.20	0.10
14	टिहरी गढवाल में डांगधार धौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	139.00	139.00	1.00
15	टिहरी गढवाल में काण्डीखाल सेलूर चूरेडना अमान सिद्धपीठ तक मोटर मार्ग	8.00	111.20	111.20	1.00
16	टिहरी गढवाल में स्यांसू रतवाडी कमान्द मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	7.50	109.88	109.88	1.00
17	टिहरी गढवाल में चम्बा जौल कुडियाल गांव जढधार गांव मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं पुनः निर्माण	5.00	92.00	82.75	0.50
18	टिहरी गढवाल में गुनौगी (उदयकोट) ग्वालगांव मोटर मार्ग का नवनिर्माण	8.00	111.20	111.20	1.00
19	टिहरी गढवाल में नागणी से वाया जढधार गांव–स्वाडी नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.50
20	टिहरी गढवाल में गुनौगी सिलोगी नागराजधार मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	111.20	111.20	1.00
21	टिहरी गढवाल में बुडोगी ज्ञानसू कोटी बैंड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.50
	योग		2370.05	2284.36	15.70

(रुपये पन्द्रह लाख सत्तर हजार मात्र)

(टी०के० पन्त)
उप सचिव।

GO PWD 2004/belwal/53-54